



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)
CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organisation Under the Ministry of Education, Govt. of India)



केमाशिबो/शैक्ष./2026

दिनांक: 04.05.2026

परिपत्र संख्या: शैक्ष-25/2026

केमाशिबो से संबद्ध सभी विद्यालय के प्रमुख

विषय: दिनांक 09 अप्रैल, 2026 के परिपत्र सं. शैक्षणिक-17/2026 के अनुवर्ती कार्रवाई के संबंध में कक्षा VI में R3 को शुरू करने हेतु अनुपालन।

यह परिपत्र दिनांक 09 अप्रैल 2026 के केमाशिबो परिपत्र संख्या शैक्ष-17/2026 के क्रम में है, जो केमाशिबो अध्ययन योजना 2026-27 के अनुसार, विद्यालयी शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (NCFSE-2023) के अनुरूप, कक्षा VI में R3 (तीसरी भाषा) की शुरुआत के संबंध में है।

यह हर्ष की बात है कि वृहद संख्या में विद्यालयों ने OASIS पोर्टल पर अपनी चुनी हुई R3 भाषा(ओं) को अपलोड करके इसका कार्यान्वयन शुरू कर दिया है। हालाँकि, बोर्ड के संज्ञान में यह आया है कि कुछ विद्यालयों ने अभी तक OASIS में अपने R3 भाषा विकल्पों को अद्यतित नहीं किया है और कार्यान्वयन को औपचारिक रूप नहीं दिया है, जबकि कुछ ने ऐसे विकल्प भरे हैं जो नीतिगत अधिदेशों के अनुसार नहीं हैं।

बोर्ड यह मानता है कि कुछ विद्यालयों को प्रशासनिक व्यवस्थाओं को पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय की आवश्यकता हो सकती है। प्रशासनिक और शैक्षणिक तैयारियों को सुचारू बनाने के लिए, विद्यालयों द्वारा आवश्यक कार्रवाई हेतु निम्नलिखित बातों पर ध्यान दिया जाए:

1. चूंकि OASIS में जानकारी अपडेट करना अनिवार्य है, अतः जिन विद्यालयों ने अभी तक अपनी R3 भाषाओं के विकल्प अपलोड नहीं किए हैं, उनसे अनुरोध है कि हर हाल में, वे शीघ्र ही 31 मई 2026 से पहले OASIS पोर्टल पर उन्हें अंतिम रूप देकर अपडेट कर दें।
2. जिन विद्यालयों ने नीतिगत सिफारिशों के अनुसार भाषाओं के विकल्प नहीं भरे हैं, उन्हें OASIS में विवरण संशोधित करने का एक और अवसर दिया जा रहा है। 31 मई 2026 तक विकल्प भरे जा सकते हैं।
3. अनुसूचित भाषाओं (भारत के संविधान में सूचीबद्ध भाषाएं) के लिए, आधिकारिक R3 पाठ्यपुस्तकें 01 जुलाई 2026 से पहले एनसीईआरटी और केमाशिबो की वेबसाइटों पर उपलब्ध करा दी जाएंगी।
4. ऐसे प्रकरणों में, जहां कोई विद्यालय R3 भाषा के रूप में ऐसी भाषा को चुनने का निर्णय लेता है जो भारत की अनुसूचित भाषा नहीं है, बोर्ड उन्हें सलाह देता है कि ऐसे विद्यालय एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों या राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य पाठ्य सामग्रियों का अनुसरण कर सकते हैं—जैसा कि केमाशिबो द्वारा कक्षा IX और X के लिए भी प्रस्तावित किया गया है। ऐसी भाषाओं का चयन करने वाले विद्यालयों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनकी पाठ्यचर्या, NCFSE-2023 में निर्धारित दक्षताओं का पूर्णतः पालन करता हो। (जो परिपत्र सं. शैक्ष-17/2026 के अनुलग्नक I में है)।
5. जिन विद्यालयों ने अभी तक नीतिगत अधिदेशों के अनुसार (R1, R2, R3 मॉडल के तहत) कम से कम दो भारतीय भाषाओं को पढ़ाना शुरू नहीं किया है, वह विद्यालय एनसीएफएसई-2023 (परिपत्र संख्या शैक्ष-17/2026 का



'एकीकृत कार्यालय परिसर, सेक्टर - 23, द्वारका, नई दिल्ली - 110075'
'Integrated Office Complex, Sector - 23, Dwarka, New Delhi - 110075'





केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)
CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organisation Under the Ministry of Education, Govt. of India)



अनुलग्नक-1) में निर्धारित पाठ्यचर्या संबंधी लक्ष्यों और दक्षताओं का पूर्णतः पालन करते हुए अब 01 जुलाई 2026 से शिक्षण आरंभ करें।

सभी संबद्ध विद्यालयों से पुनः अनुरोध किया जाता है कि वे इस प्रकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। क्षेत्रीय कार्यालय, अनुपालन पर ध्यान देना और आवश्यक सहायता देना जारी रखेंगे।

हस्ता/-
(डॉ. प्रज्ञा एम. सिंह)
प्रोफेसर एवं निदेशक (शैक्षणिक)

निदेशालयों, संगठनों और संस्थानों के संबंधित प्रमुखों को यह अनुरोध करते हुए प्रति भेजी जा रही है कि वे अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी विद्यालयों तक यह जानकारी पहुँचाए:-

1. आयुक्त, केंद्रीय विद्यालय संगठन, 18 इंस्टीट्यूशनल एरिया, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली-16
2. आयुक्त, नवोदय विद्यालय समिति, बी-15, सेक्टर-62, इंस्टीट्यूशनल एरिया, नोएडा-201309
3. सचिव, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस), जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार।
4. सचिव, सैनिक स्कूल सोसायटी, कमरा सं. 101, डी-1 विंग, सेना भवन, नई दिल्ली-110001
5. अध्यक्ष, ओडिशा आदर्श विद्यालय संगठन, एन-1/9, दूरदर्शन केंद्र के पास, डाकघर सैनिक स्कूल, नयापल्ली, भुवनेश्वर, ओडिशा-751005
6. शिक्षा निदेशक, शिक्षा निदेशालय, एनसीटी दिल्ली सरकार, पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054
7. जन अनुदेश निदेशक (स्कूल), संघ राज्य क्षेत्र, सचिवालय, सेक्टर 9, चंडीगढ़-160017
8. शिक्षा निदेशक, सिक्किम सरकार, गंगटोक, सिक्किम-737101
9. विद्यालय शिक्षा निदेशक, अरुणाचल प्रदेश सरकार, ईटानगर-791111
10. शिक्षा निदेशक, सरकार एण्डएन द्वीप समूह, पोर्ट ब्लेयर-744101
11. विद्यालय शिक्षा निदेशक, लद्दाख, कमरा नंबर 101-102, भूतल, काउंसिल सचिवालय, कुरबाथांग, कारगिल – लद्दाख
12. विद्यालय शिक्षा निदेशक, आंध्र प्रदेश, तीसरा तल, बी ब्लॉक, अंजनेय टावर्स, वीटीपीएस रोड, भीमाराजू गुट्टा, इब्राहिमपटनम, आंध्र प्रदेश – 521456
13. निदेशक, झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद, रांची, झारखंड
14. निदेशक, संभोता तिब्बतन स्कूल सोसायटी, (एसटीएसएस), केंद्रीय तिब्बतन प्रशासन (सीटीए), धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश
15. अपर महानिदेशक नौ सेना, ए-विंग, सेना भवन, डीएचक्यू पीओ, नई दिल्ली-110001
16. सचिव एडब्ल्यूईएस, रक्षा मंत्रालय (सेना) का एकीकृत मुख्यालय, एफडीआरसी भवन संख्या 202, शंकर विहार (एपीएस के पास), दिल्ली कैंट-110010
17. निदेशक, नेवी एजुकेशन सोसायटी, नौसेना शिक्षा निदेशालय, नौसेना मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय, वेस्ट ब्लॉक-वी, आरके पुरम, नई दिल्ली-110066



'एकीकृत कार्यालय परिसर, सेक्टर - 23, द्वारका, नई दिल्ली - 110075'
'Integrated Office Complex, Sector - 23, Dwarka, New Delhi - 110075'





केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)
CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organisation Under the Ministry of Education, Govt. of India)



18. अध्यक्ष, केमाशिबो के उप सचिव
19. सचिव/परीक्षा नियंत्रक/सभी निदेशक, केमाशिबो
20. सभी क्षेत्रीय निदेशक/क्षेत्रीय अधिकारी केमाशिबो, इस अनुरोध के साथ कि वे इस परिपत्र को अपने-अपने क्षेत्रों में बोर्ड से संबद्ध सभी विद्यालयों के प्रमुखों को भेजें
21. सभी संयुक्त सचिव/उप सचिव/प्रधाननिजी सचिव/वरिष्ठ निजी सचिव/अवर सचिव/सहायक सचिव
22. सभी प्रमुख/प्रभारी, केमाशिबो उत्कृष्टता केंद्र, केमाशिबो
23. प्रभारी आईटी इकाई, इस अनुरोध के साथ कि वे इस परिपत्र को केमाशिबो की शैक्षणिक वेबसाइट पर अपलोड करें।
24. प्रभारी, पुस्तकालय
25. रिकॉर्ड फ़ाइल

हस्ता/-
प्रोफेसर एवं निदेशक (शैक्षणिक)



'एकीकृत कार्यालय परिसर, सेक्टर - 23, द्वारका, नई दिल्ली - 110075'
'Integrated Office Complex, Sector - 23, Dwarka, New Delhi - 110075'





केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organisation Under the Ministry of Education, Govt. of India)



CBSE/ACAD/2026

Date: 04.05.2026

Circular No: Acad-25/2026

All the Heads of Schools affiliated to CBSE

Subject: Compliance with Introduction of R3 in Class VI – Follow-up to Circular No. Acad-17/2026 dated 09 April 2026

Dear Principal,

This is in continuation of CBSE Circular No. Acad-17/2026 dated 09 April 2026 regarding the introduction of R3 (third language) in Class VI as per the CBSE Scheme of Studies 2026–27, in line with the National Curriculum Framework for School Education (NCFSE-2023).

It is heartening to note that a large number of schools have already initiated the implementation by uploading their chosen R3 language(s) in the OASIS portal. However, it has come to the notice of the Board that certain schools are yet to update their R3 language options in OASIS and formalize the implementation, while a few have filled in the choices that are contrary to the policy recommendations.

The Board appreciates that some schools may require additional time to complete administrative arrangements. To facilitate smooth administrative and academic preparedness, the following may be noted for necessary action by schools:

1. As OASIS updation is mandatory, schools that have not yet uploaded their R3 language choices are requested to finalise and update the same in the OASIS portal at the earliest, and in any case, before 31st May 2026.
2. The schools that have filled the choices in contradiction to the Policy recommendation are being given another opportunity to modify the details in the OASIS, by 31st May 2026.
3. For scheduled languages (languages enumerated in the Constitution of India), the official R3 textbooks will be made available on the NCERT and CBSE websites before 01 July 2026.
4. In cases where a school chooses to offer an R3 language that is not a scheduled language of India, the Board advises that such schools may follow the SCERT textbooks or other state-recognised materials, as proposed by CBSE for Classes IX and X as well. Schools opting for such languages must ensure that the curriculum strictly adheres to the competencies prescribed in NCFSE-2023 (attached as Annexure I in Circular No. Acad-17/2026).
5. Schools that have not yet started teaching at least two native Indian languages (under the R1, R2, R3 model) as per the policy mandate may now commence teaching from



सी.बी.एस.ई. एकीकृत कार्यालय परिसर, सेक्टर-23, फेज 1, द्वारका, नई दिल्ली -110077
CBSE Integrated Office Complex, Sector-23, Phase 1, Dwarka, New Delhi -110077





केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organisation Under the Ministry of Education, Govt. of India)



01 July 2026 without fail, strictly following the curricular goals and competencies prescribed in NCFSE-2023 (Annexure-1 of Circular No. Acad-17/2026).

All affiliated schools are once again requested to treat this matter with utmost priority. Regional Offices will continue to monitor compliance and extend necessary support.

Dr. Praggya M Singh
Professor and Director (Academics)

Copy to the respective Heads of Directorates, Organizations and Institutions with a request to disseminate the information to all the schools under their jurisdiction:

1. The Commissioner, Kendriya Vidyalaya Sangathan, 18 Institutional Area, Shaheed Jeet Singh Marg, New Delhi-16
2. The Commissioner, Navodaya Vidyalaya Samiti, B-15, Sector-62, Institutional Area, Noida-201309
3. The Secretary, Eklavya Model Residential Schools (EMRS), Ministry of Tribal Affairs, Government of India.
4. The Secretary, Sainik Schools Society, Room No. 101, D-1 Wing, Sena Bhawan, New Delhi-110001
5. The Chairman, Odisha Adarsha Vidyalaya Sangathan, N-1/9, Near Doordarshan Kendra, PO Sainik School Nayapalli, Bhubaneswar, Odisha-751005
6. The Director of Education, Directorate of Education, Govt. of NCT of Delhi, Old Secretariat, Delhi-110 054
7. The Director of Public Instructions (Schools), Union Territory Secretariat, Sector 9, Chandigarh-160017
8. The Director of Education, Govt. of Sikkim, Gangtok, Sikkim –737101
9. The Director of School Education, Govt. of Arunachal Pradesh, Itanagar –791 111
10. The Director of Education, Govt. of A&N Islands, Port Blair – 744101
11. The Director of School Education, Ladakh, Room No.101-102, Ground Floor, Council Secretariat, Kurbathang, Kargil - Ladakh
12. The Director of School Education, Andhra Pradesh, 3rd Floor, B block, Anjaneya Towers, VTPS Rd, Bhimaraju Gutta, Ibrahimpatnam, Andhra Pradesh – 521 456
13. The Director, Jharkhand Education Project Council, Ranchi, Jharkhand
14. The Director, Sambhota Tibetan Schools Society (STSS), Central Tibetan Administration (CTA), Dharamshala, HP
15. The Additional Director General of Army Education, A –Wing, Sena Bhawan, DHQ, PO, New Delhi-110001
16. The Secretary AWES, Integrated Headquarters of MoD (Army), FDRC Building No. 202, Shankar Vihar (Near APS), Delhi Cantt-110010
17. The Director, Navy Education Society, Directorate of Naval Education, Naval Headquarters, Ministry of Defence, West Block-V, RK Puram, Delhi – 110066
18. DS to Chairperson, CBSE
19. Secretary/ Controller of Examinations/ All Directors, CBSE
20. All Regional Directors/ Regional Officers of CBSE with the request to send this circular to all the Heads of the affiliated schools of the Board in their respective regions
21. All Joint Secretary/ Deputy Secretary/ Under Secretary/ Assistant Secretary, CBSE



सी.बी.एस.ई. एकीकृत कार्यालय परिसर, सेक्टर-23, फेज 1, द्वारका, नई दिल्ली -110077
CBSE Integrated Office Complex, Sector-23, Phase 1, Dwarka, New Delhi -110077





केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organisation Under the Ministry of Education, Govt. of India)



22. All Head(s)/ In-Charge(s), Centre of Excellence, CBSE
23. In charge IT Unit with the request to put this Circular on the CBSE Academic Website
24. In-Charge, Library
25. Record File

Director (Academics)



सी.बी.एस.ई. एकीकृत कार्यालय परिसर, सेक्टर-23, फेज 1, द्वारका, नई दिल्ली -110077
CBSE Integrated Office Complex, Sector-23, Phase 1, Dwarka, New Delhi -110077

